

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग  | अधिवक्ता का नाम           |
|----------|-------------|--------------------|---|---------------------------|
| 1.       | 713/2017    | किशना राम          | 1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।<br>2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर। | श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर |
| 2.       | 723/2017    | बलबीर सिंह         | 1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।<br>2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।               | श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर |

आदेश की दिनांक : 12.07.2024

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह प्रभारी अधिकारी

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

- उपरोक्त दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 713/2017 किशना राम बनाम उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर एवं अन्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, दोनों अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
- अपील संख्या 713/2017 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायतीराज विभाग में अध्यापक ग्रेड-III के पद पर आदेश दिनांक 03.10.1986 से हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.1986 को कार्यग्रहण किया था। जिला परिषद नागौर द्वारा बैठक दिनांक 11.05.1988 को ली गयी एवं अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रिनिंग की प्रक्रिया के पश्चात नियमित की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 1987 से 1990 तक के अध्यापक ग्रेड-तृतीय की वरिष्ठता सूची जारी की जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 07.10.1986 मानी गयी। अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 07.10.1986 से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर वर्ष 2015 में पदोन्नति प्रदान की गयी। उक्त पदोन्नति के समय भी अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.10.1986 मानी गयी। अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी

था, परन्तु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.10.1986 से की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.10.1986 से गणना करते हुए पूर्व में अपीलार्थी को पदोन्नति वरिष्ठता का लाभ भी प्रदान किया गया है, परन्तु अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं दिया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं करते हुए स्क्रीनिंग के पश्चात नियमितकरण की दिनांक से की जा रही है, जो उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:-

"It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the record relating to the case and after examining the same the impugned orders dated 29.2.2016 (Annex-7) and order dated 29.11.2016 (Annex-8) may kindly be quashed and set aside and further be directed to the respondents to count his services from the date of initial appointment i.e. 7.10.1986 for the purpose of third selection grade/ACP and arrears be also granted with interest of 9% P.A.

Any other order, which this Hon'ble Court deem just and proper may kindly be passed in favour of the appellant."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर द्वारा आदेश दिनांक 07.10.1986 को अस्थायी तौर पर संत्रात तक के लिए केवल 6 माह के लिए अथवा चयनित प्रत्यर्थी उपलब्ध हो जो भी पहले हो, की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। तदनुसार अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया और जिला कर्मचारी वर्ग समिति (जिला परिषद) नागौर द्वारा आदेश 11.05.1988 एवं दिनांक 04.06.1988 की पालना में विकास अधिकारी कुचामन सिटी ने आदेश दिनांक 07.09.1988 से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई, माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 07.09.1988 नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। अपीलार्थी ने आदेश विरुद्ध उक्त अपील लम्बे विलम्ब बाद बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही

सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय की पालना में जारी आदेश दिनांक 29.02.2016 तथा 29.11.2016 विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है। वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 प्रभावी है, जिसमें वर्णित प्रावधानों के अनुरूप तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति जिला स्थापना समिति (जिला परिषद) द्वारा की जाती है। विकास अधिकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है, इसलिए पंचायत समिति द्वारा अवैधानिक रूप से पारित किसी आदेश को विधिक नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी नियमित नियुक्ति से ही सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक पद पर सीधी भर्ती/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति/चयन संबंधित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाती है तथा इन कर्मचारियों की स्क्रिनिंग के बाद आदेश जारी तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जाती है। तदनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति तिथि से ही सेवा संबंधित समस्त परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो दिनांक 07.10.1986 को हुई थी, जिसके आधार पर अपीलार्थी को वरिष्ठता, प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 07.10.1986 से लगातार कार्यरत है। अतः अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी उक्त दिनांक से दिया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तदर्थ रूप में हुई थी, जो अस्थाई नियुक्ति थी। अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई हैं।
5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति अस्थाई तौर पर दी गई थी। नियुक्ति आदेश दिनांक 03.10.1986 (अनुलग्नक-1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी की नियुक्ति 6 माह के लिए, चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए की गई थी। अतः अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सेवा नियमों के तहत नियमित नियुक्ति नहीं थी। अपीलार्थी को बाद में स्क्रिनिंग के पश्चात जिला स्थापना समिति के द्वारा नियमित किया गया है। इसके पूर्व की सेवाएं तदर्थ आधार पर थी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम

में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc

period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि चयनित वेतनमान के लाभ या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती। अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 11.05.1988 को स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है, उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी ने तदर्थ (ad-hoc) आधार पर दी थी, जो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
7. उपरोक्त दोनों अपीलों में हम अपीलार्थीगण के इन तर्कों से सहमत नहीं है कि अपीलार्थीगण की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। परिणामस्वरूप दोनों अपीलों में कोई बल नहीं होने अपीलें खारिज की जाती है।
8. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 713/2017 में एवं आदेश की प्रतिलिपि अन्य अपील संख्या 723/2017 में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)  
सदस्य (न्यायिक)